295

[2020] 13 एस. सी. आर 295

क.

केंद्रीय आयुक्त, दिल्ली-III बनाम।

मेसर्स यू. एन. आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। (2009 का सी. ए. संख्या 302-303) 1 मई, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985-पहली अनुसूची-अध्याय 57,87-कार मैट को अध्याय-शीर्षक 57.03 या 87.08 के तहत वर्गीकृत किया जाना है-प्रतिवादी-निर्धारिती कपड़ा फर्श के आवरण और कार मैट के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था-शीर्ष संख्या <ID2 के खिलाफ क्लियर किया गया सामान, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ 8708.99.00 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है तो 16 प्रतिशत की तुलना में 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क था-माल की ऐसी मंजूरी पर जारी किए गए तीन कारण-विवरण नोटिस-आयुक्त ने कार मैट को अध्याय 87.08 के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले पुर्जे और सहायक उपकरण माना-न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय लिया-अपील पर कहा गयाःअध्याय 87 में एक स्वतंत्र टैरिफ प्रविष्टि के रूप में कार की चटाई शामिल नहीं है-हालांकि आम बोलचाल में शामिल उत्पादों को कालीन नहीं माना जा सकता है, अध्याय के शब्दों, अनुभाग टिप्पणियों, अध्याय टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों को देखते हुए, वस्तुओं को अध्याय शीर्षक 570390.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था-विषय-वस्तु "III-भागों और सहायक उपकरणों" के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियों की धारा XVII में निर्दिष्ट तीसरी शर्त को पूरा नहीं करती है-विषय-वस्तुएं अध्याय-शीर्षक 570390.90 के तहत आती हैं-विवादित निर्णय कायम।

ग

डी.

ई.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

च

पकड़नाः**1.1** विश्व सीमा शुल्क संगठन **(2002)** द्वारा जारी "सुसंगत वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली"**,** व्याख्यात्मक टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है।इन टिप्पणियों को**,** जिन्हें एच**.** एस**.** एन**.** व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ कहा जाता है**,** दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित किया गया है।इन स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के प्रबल प्रेरक मूल्य को इस न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियम नामकरण में वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए व्याख्या के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।प्रथम क की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों का खंड **3 (**क**)**

जी.

एच.

295

296 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

केंद्रीय प्रशुल्क अधिनियम**, 1985** की अनुसूची उन मामलों में जहां एक वस्तु को एक से अधिक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किए जाने की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं**,** व्याख्यात्मक टिप्पणियों के उक्त नियम **3 (**ए**)** के अनुरूप होती हैं।केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा **XVII** की धारा नोट **2** वस्तुओं के ग्यारह सेटों को पुर्जों और सहायक उपकरण के रूप में माने जाने से बाहर करती है। एच**.** एस**.** एन**.** व्याख्यात्मक टिप्पणियों**, 2002** की धारा **XVII** में मुख्य शीर्षक "सामान्य" के तहत "भागों और प्राप्तियों"

का संदर्भ है।उप-शीर्षक **"(iii)** पार्ट्स एंड एसीईएसएसओरीज़" के तहत, एक तीन-परत परीक्षण अभिनिर्धारित किया गया है। इन सभी शर्तों को पूरा करने पर एक विशेष मद उस अध्याय शीर्ष के अंतर्गत आएगी।अध्याय-शीर्ष **87.08** के तहत पुर्जों और सहायक उपकरणों से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों में फर्श की चटाई **(**कपड़ा सामग्री या बिना कठोर वल्केनीकृत रबर के अलावा**)** शामिल हैं।एच**.** एस**.** एन**.** व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्याय **57** की टिप्पणियाँ, जो कालीनों और अन्य वस्त्र तल के आवरणों से संबंधित हैं, इन दोनों अपीलों के प्रभावी निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।उक्त लिखत, अर्थात एच**.** एस**.** एन**.** व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शुल्क मद संख्या के विरुद्ध चार प्रविष्टियों से संबंधित हैं।**5703.[**पैरा **6-9,15** और **16] [304-**बी-सी, डी, एफ-जी**; 305-**सी, ई**; 310-**सी-एच**]**

ग

डी.

सीसीई बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड **(1995) 3** एससीसी **454:[1995] 2** एस**.** सी**.** आर**. 797;** केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम**.**

ई.

बेकेलाइट हाइलाम [1997 (91) ई. एल. टी. 13 (एस. सी.); कलेक्टर

सीमा शुल्क बनाम बिजनेसफॉर्म्स लिमिटेड **(2005) 7** एस**.** सी**.** सी**. 143;** होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड बनाम**.**केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

(2015) 7 एससीसी **401:[2015] 4** एससीआर **576-**पर निर्भर।

1.2 “सामान्य बोलचाल परीक्षण, "विपणन क्षमता परीक्षण", "लोकप्रिय अर्थ परीक्षण" सभी टैरिफ प्रविष्टि के उचित वर्गीकरण पर निर्णय पर पहुंचने के लिए व्याख्या के लिए उपकरण हैं।हालाँकि, इन परीक्षणों को लागू करने की आवश्यकता होगी यदि कोई विशेष शुल्क प्रविष्टि एक से अधिक शीर्षों में वर्गीकृत होने में सक्षम है।जहाँ तक विषय-विवाद का संबंध है, यह न्यायालय पहले ही अध्याय **57** के अध्याय **1** का उल्लेख कर चुका है।इस नोट में कहा गया है कि कालीन और अन्य फर्श के आवरण का अर्थ होगा फर्श के आवरण जिसमें कपड़ा सामग्री उपयोग में आने पर वस्तु की खुली सतह के रूप में काम करती है।कार मैट की इस विशेषता को वास्तव में राजस्व अधिकारियों द्वारा ए के क्रम में असत्य के रूप में खारिज नहीं किया गया है।

च

जी.

एच.

297

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड।

आयुक्त, जिनके समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा इस आशय का दावा किया गया था।इन अपीलों में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कार मैट अध्याय-शीर्षक **57.03** के तहत आते हैं या नहीं।दूसरी अपील में, उत्पाद का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था, अलग था, लेकिन यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।राजस्व का मामला यह है कि माल का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि इनका उपयोग कारों के सहायक उपकरण के रूप में किया जा सके।न्यायाधिकरण ने पाया कि हालांकि आम बोलचाल में शामिल उत्पादों को कालीन नहीं माना जा सकता है, लेकिन अध्याय के शब्दों, अनुभाग टिप्पणियों, अध्याय टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों को देखते हुए, वस्तुओं को अध्याय शीर्षक **570390.90** के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।**[**पारस **23,24] [315-**एच**; 316-**ए-डी**]**

ग

1.3.इस न्यायालय को इस तरह के तर्क में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय **87** में एक स्वतंत्र शुल्क प्रविष्टि के रूप में कार मैट शामिल नहीं हैं।टैरिफ प्रविष्टि **8708** के खिलाफ सूचीबद्ध विभिन्न पुर्जों और सहायक उपकरणों को पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है।ये सभी यांत्रिक घटक हैं**,** और राजस्व चाहता है कि कार की चटाई को उसी सूची में अवशिष्ट उप**-**शीर्ष **"**अन्य**"** के तहत शामिल किया जाए।नियमों की व्याख्या से संबंधित एच**.** एस**.** एन**.** स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों में विशेष रूप से **"**मोटर कारों में उपयोग के लिए पहचाने जाने वाले गुच्छेदार कपड़े के कालीन**"** को **87.08** से बाहर रखा गया है और उन्हें **57.03** शीर्षक के तहत रखा गया है।राजस्व का तर्क है कि व्याख्यात्मक टिप्पणियों का केवल प्रेरक मूल्य है।लेकिन इस तरह के प्रेरक मूल्य का स्तर या गुणवत्ता बहुत मजबूत है**,** जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों में देखा गया है।इसके अलावा**,** आयुक्त ने स्वयं प्रत्यर्थी के रुख से निपटने के दौरान मूल आदेश में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख किया है।इस प्रकार**,** प्रवेश संबंधी विवाद को हल करने के लिए इन व्याख्यात्मक टिप्पणियों की सहायता लेने की सामान्य प्रवृत्ति से अलग होने का कोई कारण नहीं है।अब**,** इन व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख करने पर**,** यह पाया गया है कि कालीनों की एक श्रेणी **[**वस्त्र कालीन **(**अध्याय **57)]** को विशेष रूप से पुर्जों और सहायक उपकरणों से बाहर रखा गया है। विषय**-**वस्तु **"**तृतीय**-**भाग और सहायक सामग्री**"** के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियों की धारा **XVII** में निर्दिष्ट तीसरी शर्त को पूरा नहीं करती है।खंड **(**सी**)** के एक सादे पठन में **"**कपड़ा कालीन**" (**अध्याय **57)** शामिल नहीं है।ए का मुख्य तर्क

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अपीलार्थी का कहना है कि चूंकि कार की चटाई विशेष रूप से कारों के लिए बनाई जाती है और कारों में भी उपयोग की जाती है**,** इसलिए उन्हें पुर्जों और सहायक उपकरणों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।लेकिन उस तर्क से**,** कपड़ा कालीनों को पुर्जों और सहायक सामग्रियों से बाहर नहीं रखा जा सकता था।इस तरह के बहिष्करण का उल्लेख पिछले पैराग्राफ में किया गया है। राजस्व की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि इन वस्तुओं की पहचान आमतौर पर कालीन के रूप में नहीं की जाती है**,** बल्कि ये अलग**-**अलग उत्पाद हैं।न्यायाधिकरण ने विभिन्न प्रविष्टियों**,** नियमों और टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण पर पाया है कि वे अध्याय शीर्षक **570390.90** के तहत माल के विवरण में फिट बैठते हैं।न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है।एक बार जब विषय वस्तु उस उप**-**शीर्षक के दायरे में आती है**,** तो एकमात्र कारण यह है कि वे विशेष रूप से कारों के लिए बनाए गए हैं और **"**घरेलू उपयोग**"** के लिए नहीं **(**व्यापक रूप से**),** उन वस्तुओं को शीर्षक **8708** के सामने अवशिष्ट प्रविष्टि में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है।जैसा कि न्यायालय ने पाया है कि विषय**-**वस्तुएं अध्याय**-**शीर्षक **570390.90** के तहत आती हैं**,** और उसी अध्याय के तहत दूसरी प्रविष्टि जो आयुक्त के दूसरे आदेश में विवाद का विषय है**,** प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टियों के खिलाफ इन वस्तुओं की स्थिति की पहचान करने के लिए **"**सामान्य बोलचाल**"** परीक्षण या निर्माण के किसी अन्य समान उपकरण को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।न्यायाधिकरण का विवादित निर्णय कायम है।**[**पारस **25-27] [316-E-H; 317-A-E]**

ग

डी.

प्लाज़मैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कं। प्रा. लि. बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बॉम्बे 1991 सप.(1)

ई.

एससीसी 57:[1990] 3 पूरक।एससीआर 384; डाबर इंडिया लिमिटेड।

v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** जमशेदपुर **(2005)**

4 एस. सी. सी 9:[2005] 3 एससीआर 144; ए. पी. राज्य विद्युत

बोर्ड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर**,** हैदराबाद **(1994)**

2 एससीसी 428:[1994] 1 एस. सी. आर. 499 के आयुक्त

च

केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम वॉकहार्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड

(2012) 5 एस**.** सी**.** सी**. 585-**पर निर्भर।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे-II बनाम स्टर्लिंग इंडिया (2000) 115 ई. एल. टी. 807; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम.

स्वराज मजदा (1993) 68 ई. एल. टी. 258; ज्योति कालीन

जी.

उद्योग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-1

(2001) 132 ई**.** एल**.** टी**. 458-**संदर्भित।

एच.

299

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड।

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1995] 2 एससीआर **797**

पर भरोसा किया

पैरा **6**

1997 (91) ई**.** एल**.** टी**. 13 (**एस**.** सी**.)** पैरा **6 (2005) 7** एस**.** सी**.** सी**. 143** पैरा **6 [2015] 4** एस**.** सी**.** आर**. 576** पैरा **6 [1990] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 384** पैरा **20 [2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 144** पैरा **20 [1994] 1** एस**.** सी**.** आर**. 499** पैरा **21 (2012) 5** एस**.** सी**.** सी**. 585** पैरा **22** पर निर्भर था

ग

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील सं. 2009 की सं. 302-303

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा 2007 की उत्पाद शुल्क अपील संख्या 94 और 3226 में दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

डी.

ए. के. श्रीवास्तव, एच. राघवेंद्र राव, एस. ए. हसीब, सुश्री सौदामिनी शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, वी. लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री इशिता माथुर, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तुरी और सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) के 16 जुलाई, 2008 को दिए गए निर्णय के खिलाफ इन दो अपीलों में इस सवाल पर निर्णय की आवश्यकता है कि क्या "कार मैटिंग" केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 57 के भीतर "कालीन और अन्य वस्त्र फर्श आवरण" शीर्षक के तहत आएगी या उन्हें इसके अध्याय 87 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जो "रेलवे या ट्रामवे रोलिंग-स्टॉक और उसके पुर्जों और सहायक उपकरणों के अलावा अन्य वाहनों" से संबंधित है।अपील एक सामान्य निर्णय के खिलाफ हैं और हम इस निर्णय में इन दोनों अपीलों पर भी एक साथ विचार करेंगे।प्रत्यर्थी-निर्धारिती चाहता है कि उनके सामान को अध्याय शीर्षक 5703.90 के तहत रखा जाए।हम निर्णय में बाद में इस मद के खिलाफ विशिष्ट प्रविष्टियों का उल्लेख करेंगे।प्रत्यर्थी, के भौतिक बिंदु पर

च

जी.

एच.

300

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

वे कपड़ा फर्श के आवरण और कार मैटिंग के निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए थे।विषय-वस्तुओं को राजस्व द्वारा कार मैटिंग और कार कालीन के रूप में भी संदर्भित किया गया है।प्रत्यर्थी, भौतिक समय पर, उन्हें शीर्षक संख्या 570390.90 के खिलाफ माल घोषित कर रहा था।उस प्रविष्टि के तहत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर 8 प्रतिशत थी और विषय अवधि के लिए लागू दर पर शिक्षा उपकर था।हम शुल्क की इस दर को, अन्य बातों के साथ-साथ, पहले और दूसरे कारण दर्शाओ नोटिसों से निपटने वाले आयुक्त के आदेश से पाते हैं।बुनियादी उत्पाद शुल्क की दर शिक्षा उपकर के अलावा 16 प्रतिशत होती अगर इन वस्तुओं को शीर्ष संख्या में निर्दिष्ट वस्तुओं के खिलाफ वर्गीकृत किया जाता।8708.99.00.उक्त शीर्षक के तहत माल की निकासी पर प्रतिवादी के खिलाफ कुल मिलाकर तीन कारण-ज्ञापन जारी किए गए थे।इन नोटिसों में उन्हें यह जवाब देने की आवश्यकता थी कि उनसे शुल्क और ब्याज की अंतर दर क्यों नहीं ली जानी चाहिए।हम यहाँ यह इंगित करना चाहते हैं कि कारण दर्शाओ नोटिसों में, संबंधित अध्याय उप-शीर्षकों को 8708.99.00 और 570390.90 के रूप में संदर्भित किया गया है और न्यायाधिकरण के आदेश में भी, उप-शीर्षकों को इस तरह से संदर्भित किया गया है।लेकिन कुछ स्थानों पर अधिकारियों ने स्वयं उप-शीर्षकों को छोटे संख्यात्मक रूपों में 5703.90 और 8708.00 के रूप में वर्णित किया।हम कागजी-पुस्तक में ये छोटी-मोटी विविधताएँ पाते हैं।लेकिन जहां तक इन अपीलों के निर्णय का संबंध है, संख्यात्मक रूप में दर्शाए गए उपशीर्षक की इस भिन्नता का कोई महत्व नहीं है।प्रत्यर्थी को यह भी जवाब देना था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 25 के संदर्भ में उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।9 जुलाई, 2004 और 31 मार्च, 2005 के बीच की अवधि के दौरान किए गए माल की निकासी के संबंध में पहला कारण दर्शाओ नोटिस 9 अगस्त, 2005 को दिया गया है।उन्होंने उस अवधि में विभिन्न आकारों में उन वस्तुओं के टुकड़ों को पूरी तरह से 8,65,777 साफ़ कर दिया था।दूसरा कारण बताएँ नोटिस 2 मई, 2006 को जारी किया गया था और 1 अप्रैल, 2005 और 31 जनवरी, 2006 के बीच की अवधि के लिए समान सामानों के 12,02,482 टुकड़ों की निकासी से संबंधित था। तीसरा कारण दर्शाओ नोटिस 7 मार्च, 2007 का है और मंजूरी में 1 फरवरी, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक 20,15,412 टुकड़े शामिल हैं।तीसरे कारण दर्शाओ नोटिस में शामिल अवधि के लिए, प्रतिवादी द्वारा अध्याय उप-शीर्षक संख्या 570500.19 के तहत मंजूरी दी गई थी, जिसमें शुल्क की प्रभावी दर @8% थी।

क.

ग

डी.

ई.

च

जी.

2. जब तक तीसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया, तब तक पहली बार निर्णय लेने वाला प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ए.

एच.

301

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

दिल्ली III) ने 29 सितंबर, 2006 को प्रतिवादी के खिलाफ आदेश पारित किया था, जब उन्होंने उक्त दो कारण दर्शाओ नोटिसों पर उनकी प्रतिक्रियाओं पर विचार किया था।इस निर्णय में हम मुख्य रूप से न्यायाधिकरण के निर्णय की जांच करते समय इस आदेश का उल्लेख करेंगे।अधिकारियों का रुख रहा है कि विषय-वस्तुओं को उप-शीर्षक 8708.99.00 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।अध्याय शीर्षक 8708 के विपरीत, वर्णित सामान "8701 से 8705 तक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण" हैं।प्रशुल्क मद सं. के विरुद्ध उपशीर्षक।8701 8705 तक वाहनों की पाँच श्रेणियों को संदर्भित करता है।ये हैं (i) ट्रैक्टर (8709 के अंतर्गत आने वाले वाहनों को छोड़कर), (ii) चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, (iii) मोटर कार और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए बनाए गए हैं (8702 के शीर्ष को छोड़कर) जिसमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कार शामिल हैं (iv) माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन (v) विशेष उद्देश्य वाले मोटर वाहन, जो मुख्य रूप से व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए बनाए गए हैं।भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क (2004-05) के अध्याय 87 में वस्तुओं का विवरण आठ अंकों की सूची में अध्याय 8708 की शुल्क-वस्तुओं को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

ग

3. जैसा कि ऊपर उल्लिखित तालिका से स्पष्ट होगा, शुल्क-वस्तु के उक्त उप-शीर्षक के तहत कुल सत्रह वस्तुएं हैं जिन्हें पुर्जों और सहायक उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिनमें "अन्य" के रूप में संदर्भित वस्तुएं भी शामिल हैं) और जिस वस्तु के खिलाफ उत्पाद शुल्क अधिकारी चाहते हैं कि कार की मैटिंग को माना जाए, वह अवशिष्ट वस्तु की प्रकृति की है, जिसे उस तालिका में "अन्य" के रूप में संदर्भित किया गया है।दूसरी ओर, भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 57 के प्रासंगिक भाग, 2004-2005 में कहा गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“टिप्पणियाँः

ई.

1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'कालीन और अन्य वस्त्र फर्श आवरण' शब्द का अर्थ है फर्श आवरण जिसमें कपड़ा सामग्री उपयोग में होने पर वस्तु की खुली सतह के रूप में काम करती है और इसमें कपड़ा फर्श आवरण की विशेषताओं वाली वस्तु शामिल है लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

च

हेडिंग नं. उपशीर्षक। नहीं। वस्तुओं का विवरण (1)

(2)

(3)

57.01

एक्सएक्स

एक्सएक्स

जी.

57.02

कालीन और अन्य कपड़े के फर्श के आवरण **(**शीर्षक संख्या **57.01** के अलावा**),** गाँठदार**,** बुने हुए**,** गुच्छेदार**,** या झुंड वाले**,** चाहे वे बने हों या नहीं।

एच.

303

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

क.

जिसके निर्माण में या उसके संबंध में कोई भी प्रक्रिया आमतौर पर मशीनों की सहायता से की जाती हैः5702.11 नारियल के रेशों से

(कॉयर)

5702.12

जूट का

5702.19

अन्य

5702.90

अन्य

57.03

अन्य कालीन और अन्य कपड़े के फर्श के आवरण, चाहे वे बनाए गए हों या नहीं

ग

5703.10

नारियल के रेशों से

(कॉयर)

डी.

5703.20

जूट का

5703.90

अन्य "

4. प्रथम दृष्टांत प्राधिकरण (आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली-3, गुड़गांव) के समक्ष, प्रतिवादी ने पहले दो कारण दर्शाओ नोटिसों पर सुनवाई के दौरान अपनी निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया।यह 29 सितंबर, 2006 को पारित आयुक्त के आदेश में दर्ज किया गया है।हम उक्त क्रम से उस हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“.....मोल्डेड कार कालीनों की विविधता के आधार पर, फाइबर यानी पॉलिएस्टर/पॉलीप्रोपाइलीन को खोलने और मिश्रण करने वाले उपकरणों में खिलाया जाता है, जहां से इसे कार्डिंग उपकरणों में ले जाया जाता है।कार्डिंग के बाद, इसे नीडल पंचिंग के लिए रखा जाता है।सुई मुक्का मारने के बाद, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कालीन कपड़े को ताकत प्रदान करने के लिए कपड़े को रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है।रासायनिक बंधन के बाद, कपड़े को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है।लैमिनेटेड कपड़े/इम्प्रेग्नेटेड कपड़े को फिर आवश्यकता के अनुसार ढाला जाता है और वाहन में लगाने के लिए छंटनी की जाती है।नमदा को काटने के बाद आवश्यकता के अनुसार कालीन के पीछे लगाया जाता है।इसके बाद, जहां भी आवश्यकता होती है, बच्चे के अंगों के साथ-साथ ग्रिपर भी लगाए जाते हैं।परिणामी उत्पाद मोल्डेड कार कालीन है जिसे उप-शीर्षक 5703.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था।"

च

जी.

एच.

(आयुक्त के आदेश से उद्धृत)

5. प्रत्यर्थी के इस तर्क को कि अध्याय शीर्षक 5703.90 में कालीन और अन्य कपड़ा फर्श के आवरण शामिल थे और वे केवल उन वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, इस याचिका को बाद में न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

6. हमारे सामने **"**सामंजस्यपूर्ण**"** का संदर्भ दिया गया है।

वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली **",** व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

विश्व सीमा शुल्क संगठन (2002) द्वारा जारी किया गया।इन टिप्पणियों, जिन्हें एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ कहा जाता है, को दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है।इन स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के प्रबल प्रेरक मूल्य को इस न्यायालय द्वारा सी. सी. ई. बनाम वुड क्राफ्ट के मामलों में मान्यता दी गई है।

प्रोडक्ट्स लिमिटेड **[(1995) 3** एस**.** सी**.** सी**. 454],** केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम**.**

ग

बेकेलाइट हाइलाम **[1997 (91)** ई**.** एल**.** टी**. 13 (**एस**.** सी**.)],** सीमा शुल्क कलेक्टर

बनाम बिजनेस फॉर्म लिमिटेड **[(2005) 7** एस**.** सी**.** सी**. 143]** और होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड बनाम।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त **[(2015) 7** एस**.** सी**.** सी**. 401]**

सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियम नामकरण में वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए व्याख्या के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।नियम 3 (ए) में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"नियम 3 (ए) जो शीर्षक सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, उसे अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है या खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सेट में वस्तुओं के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है, तो उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण देता हो।"

ई.

व्याख्या के लिए सामान्य नियमों का खंड 3 (ए)

केंद्रीय प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची उन मामलों में जहां एक वस्तु को एक से अधिक शीर्षों के तहत वर्गीकृत किए जाने की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं, व्याख्यात्मक टिप्पणियों के उक्त नियम 3 (ए) के अनुरूप होती हैं।

च

इस नियम का व्याख्यात्मक टिप्पणी 4 (बी) अर्थात नियमों का 3 (ए)

एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों की व्याख्या के लिए निर्दिष्ट करता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"((iv) कठिन और तेज़ नियम निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जा सके कि क्या एक शीर्षक दूसरे की तुलना में माल का अधिक विशेष रूप से वर्णन करता है, लेकिन सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(a) XXXXXX A

एच.

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

(ख) यदि माल किसी विवरण का उत्तर देता है जो उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से पहचानता है, तो वह विवरण उस विवरण की तुलना में अधिक विशिष्ट है जहां पहचान कम पूर्ण है।

वस्तुओं की बाद की श्रेणी के उदाहरण हैं:(1) गुच्छेदार कपड़ा कालीन, मोटर कारों में उपयोग के लिए पहचान योग्य, जिन्हें शीर्षक 87.08 में मोटर कारों के सहायक उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना है, बल्कि शीर्षक 57.03 में वर्गीकृत किया जाना है, जहां उन्हें अधिक विशेष रूप से कालीन के रूप में वर्णित किया गया है।

(2) ....."

7. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा XVII की धारा नोट 2 वस्तुओं के ग्यारह सेटों को पुर्जों और सहायक उपकरण के रूप में माने जाने से बाहर करती है।खंड टिप्पणी 3 आगे प्रदान करता है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"3. अध्याय 86 से 88 में "पुर्जों" या "सहायक उपकरणों" का संदर्भ उन पुर्जों या सहायक उपकरणों पर लागू नहीं होता है जो केवल या मुख्य रूप से उन अध्यायों के लेखों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।एक भाग या सहायक जो उन अध्यायों के दो या अधिक शीर्षकों में किसी विवरण का उत्तर देता है, उसे उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना है जो उस भाग या सहायक के प्रमुख उपयोग से मेल खाता है।"8. एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों, 2002 की धारा XVII में मुख्य शीर्षक "सामान्य" के तहत "भागों और प्राप्तियों" का संदर्भ है।उप-शीर्षक "(iii) पाट्र्स एंड एसीईएसएसओरीज़" के तहत, एक तीन-परत परीक्षण अभिनिर्धारित किया गया है।इन सभी शर्तों को पूरा करने पर एक विशेष मद उस अध्याय शीर्ष के अंतर्गत आएगी। उप-शीर्ष III में लिखा है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

"(III) भाग और प्राप्ति

च

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्याय 89 में जहाजों, नौकाओं या तैरती संरचनाओं के पुर्जों (पतवारों के अलावा) या सहायक उपकरणों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।ऐसे पुर्जे और सहायक उपकरण, भले ही जहाजों आदि के लिए होने के रूप में पहचाने जा सकें, इसलिए उन्हें उनके संबंधित शीर्षकों में अन्य अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है।इस खंड के अन्य अध्यायों में से प्रत्येक में संबंधित वाहनों, विमानों या उपकरणों के पुर्जों और सहायक उपकरणों के वर्गीकरण का प्रावधान है।

जी.

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये शीर्षक केवल उन भागों या सहायक उपकरणों पर लागू होते हैं जो निम्नलिखित तीनों शर्तों का पालन करते हैं:

एच.

(क) उन्हें इस धारा के नोट 2 की शर्तों से बाहर नहीं किया जाना चाहिए (नीचे पैराग्राफ (ए) देखें)।

और (ख) उन्हें केवल या मुख्य रूप से अध्याय 86 से 88 के लेखों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए (नीचे पैराग्राफ (बी) देखें)।

और (ग) उन्हें नामकरण में कहीं और अधिक विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए (नीचे पैराग्राफ (सी) देखें)।"

9. पैराग्राफ (बी) और पैराग्राफ (सी) से उसी दस्तावेज़ के प्रासंगिक उद्धरण में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

" (बी**)** एकमात्र या सिद्धांत उपयोग का मानदंड।**(1)**खंड **XVII** और दूसरे खंड दोनों में वर्गीकृत किए जाने वाले पुर्जे और सहायक उपकरण।

खंड नोट 3 के तहत, पुर्जे और सहायक उपकरण जो नहीं हैं

डी.

केवल या मुख्य रूप से वस्तुओं के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त

अध्याय 86 से 88 को उन अध्यायों से बाहर रखा गया है।इसलिए टिप्पणी 3 का प्रभाव यह है कि जब कोई भाग या सहायक एक या अधिक अन्य धाराओं के साथ-साथ धारा XVII में आ सकता है, तो इसका अंतिम वर्गीकरण निर्धारित किया जाता है लेकिन इसका मुख्य उपयोग होता है।इस प्रकार अध्याय 84 में आने वाली कई मोबाइल मशीनों पर उपयोग किए जाने वाले स्टीयरिंग गियर, ब्रेकिंग सिस्टम, रोड व्हील, मडगार्ड आदि, अध्याय 87 की लॉरी पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लगभग समान हैं, और चूंकि उनका मुख्य उपयोग लॉरी के साथ होता है, इसलिए ऐसे पुर्जों और सहायक उपकरणों को इस खंड में वर्गीकृत किया गया है।

ई.

च

(2) खंड के दो या अधिक शीर्षकों में वर्गीकृत किए जा सकने वाले पुर्जे और सहायक उपकरण।

कुछ पुर्जे और सहायक उपकरण एक से अधिक प्रकार के वाहन (मोटर कार, विमान, मोटरसाइकिल, आदि) पर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे सामानों के उदाहरणों में ब्रेक, स्टीयरिंग सिस्टम, पहिये, एक्सल आदि शामिल हैं। ऐसे पुर्जों और सहायक उपकरणों को उन वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों से संबंधित शीर्षक में वर्गीकृत किया जाना है जिनके साथ वे मुख्य रूप से काम करते हैं।

जी.

उपयोग किया जाता है।

एच.

307

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

क.

(ग**)** पुर्जे और सहायक उपकरण विशेष रूप से नामकरण में कहीं और शामिल हैं **-**

पार्ट्स और एक्सेसरीज़**,** भले ही इस खंड के लेखों के लिए पहचान योग्य हों**,** को बाहर रखा गया है यदि वे नामकरण में कहीं और किसी अन्य शीर्षक द्वारा अधिक विशेष रूप से कवर किए गए हैं**,**उदाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

XXXX

XXXX

XXXX

ग

(7) वस्त्र कालीन (अध्याय 57) XXX

XXX "

इसके अलावा, अध्याय-शीर्ष 87.08 के तहत पुर्जों और सहायक उपकरणों से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों में फर्श की चटाई (कपड़ा सामग्री या बिना कठोर वल्केनीकृत रबर के अलावा) शामिल हैं।

डी.

10. आयुक्त ने पाया कि कार मैटिंग ने एच. एस. एन. के उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों में गिने गए सभी परीक्षणों को संतुष्ट किया जिन्हें अध्याय 87.08 के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले पुर्जों और सहायक उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए।

ई.

11. इस तरह के निष्कर्ष का एक कारण यह था कि कार की मैटिंग पूरी तरह से या मुख्य रूप से वाहन के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त थी और जिन्हें धारा XVII के नोट्स के प्रावधानों द्वारा बाहर नहीं रखा गया था। फिर उन्होंने "बाजार परीक्षण" लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई बाजार में कार मैटिंग के लिए कहता है, तो उपभोक्ता को एक ऐसा उत्पाद मिलेगा जिसका उपयोग केवल एक कार में किया जा सकता है, जिसकी निश्चित लंबाई और चौड़ाई हो।अपने आदेश में, आयुक्त ने पाया कि जिसे बाहर रखा गया था वह अध्याय 57 के कपड़ा कालीन थे न कि कार मैटिंग।

च

12. इस प्रकार, आयुक्त ने निर्धारिती के रुख को स्वीकार नहीं किया और कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“(ए) जिसे बाहर रखा गया है वह अध्याय 57 के वस्त्र कालीन हैं न कि कार मैटिंग।सूची में कार मैटिंग के बहिष्कार का कोई भी सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकता है, बशर्ते कि यह स्थापित हो जाए कि "कार मैटिंग" अध्याय 57 के साधारण कपड़ा कालीनों के अलावा और कुछ नहीं हैं।लेकिन जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि कार की मैटिंग को बाजार में आम कपड़ा कालीनों की तुलना में व्यावसायिक रूप से अलग तरीके से जाना जाता है।

एच.

अध्याय 57।इसकी निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से ये सामान्य कालीनों से पूरी तरह से अलग हैं।पैरा 18.7 में मेरी चर्चा और तर्क दिया गया है।1 यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "कार मैटिंग" अलग-अलग उत्पाद हैं।बोर्ड का परिपत्र No.117/28/05-CX dt।17.4.95 यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कार अलग-अलग उत्पादों को एक साथ जोड़ती है।

स्टर्लिंग इंडिया (2000 (115) ई. एल. टी.-807-जनजाति के मामलों में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णयों में आगे की गई टिप्पणियाँ।, ज्योति कालीन उद्योग (2001 (132) ई. एल. टी.-458-जनजाति-दिल्ली), स्वराज माजदा (1993 (68 ई. एल. टी. 258 जनजाति) स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि "कार मैटिंग" अध्याय 57 के सामान्य कपड़ा कालीनों से पूरी तरह से अलग हैं (इन सभी निर्णयों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है)।

ग

बी-1 अध्याय 57 पर एच. एस. एन. स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (एच. एस. एन. स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ खंड-II का पृष्ठ 783) बताता है कि उत्पादों की निम्नलिखित श्रेणी अध्याय 57 के तहत वर्गीकृत की जा सकती हैः

“उपरोक्त उत्पादों को इस अध्याय में वर्गीकृत किया गया है कि क्या निर्मित (यानी सीधे आकार, हेम्ड, लाइन, फ्रिंज, असेंबल आदि)।कालीन चौराहों के रूप में, कालीनों, चूल्हे के कालीनों के बगल में, या कमरों, गलियारों, मार्गों या सीढ़ियों में स्थापना के लिए कालीनों के रूप में, काटने और बनाने की लंबाई में।उन्हें संवर्धित (यानी लेटेक्स के साथ) या बुने हुए या गैर-बुने हुए कपड़ों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक के साथ पैक किया जा सकता है।"

डी.

ई.

बी-2 उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि न केवल चलने की लंबाई में कालीन, बल्कि मेकअप भी (यानी सीधे आकार, हेम्ड, लाइन, फ्रिंज असेंबल आदि)।कालीन चौराहों के रूप में, या कमरों, गलियारों, मार्गों या सीढ़ियों में कालीन स्थापना के रूप में अध्याय 57 के तहत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है।बी-3 उपरोक्त व्याख्या से, यह देखा जाता है कि अध्याय 57 के तहत कवर किए गए कालीन सरल कालीन होते हैं, जिनकी लंबाई चलती है, जिन्हें सीधे आकार, घेरे, पंक्तिबद्ध, किनारे, इकट्ठा किया जा सकता है, आदि कालीन के चौकों के रूप में, या कमरों, गलियारों, मार्गों या सीढ़ियों में कालीन की स्थापना के रूप में बनाया जा सकता है और निश्चित रूप से कार मैटिंग को शामिल नहीं करते हैं, जो आगे की प्रक्रिया से गुजरते हैं जैसे कि मोल्डिंग, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कालीन कपड़े को ताकत प्रदान करने के लिए रासायनिक उपचार, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार लेमिनेशन, और ए पर नामडा फिक्सिंग के साथ वाहन में फिक्सिंग के लिए ट्रिमिंग।

च

जी.

एच.

309

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

पीछे की ओर।कार मैटिंग हालांकि कपड़ा कालीन मूल की है, लेकिन सामान्य कालीन नहीं हैं जैसा कि अध्याय 57 के लिए एच. एस. एन. के व्याख्यात्मक टिप्पणियों में समझाया गया है और निश्चित रूप से अध्याय 57 के तहत शामिल नहीं हैं।जब कार मैटिंग को परिभाषा के अनुसार अध्याय 57 के तहत शामिल नहीं किया जाता है (जैसा कि एच. एस. एन. के स्पष्टीकरण टिप्पणियों के संदर्भ में ऊपर समझाया गया है) तो उन्हें भाग-III पैरा (सी) (Sl.No.7) (एच. एस. एन. स्पष्टीकरण टिप्पणियों Vol.4 का पृष्ठ 1412) का उल्लेख करते हुए धारा XVII पर एच. एस. एन. सामान्य स्पष्टीकरण टिप्पणियों के पैरा-सी से बाहर नहीं किया जाता है।

इस प्रकार "कार मैटिंग" परीक्षण 2-सी को संतुष्ट करती है।

ग

18.7.उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि "कार मैटिंग" अध्याय XVII के लिए एच. एस. एन. के व्याख्यात्मक टिप्पणियों में गिने गए सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है, जिन्हें अध्याय 87.05-87.07 के मोटर वाहनों के अध्याय 87.08 के तहत वर्गीकृत

किया जा सकता है।"13. तीसरे कारण दर्शाओ नोटिस के संबंध में आयुक्त का दूसरा आदेश 5 जनवरी, 2007 को पारित किया गया था।इस आदेश का तर्क और निष्कर्ष 29 सितंबर, 2006 को पारित आदेश के अनुरूप था।इस प्रकार, दोनों आदेशों में आयुक्त ने निर्धारिती के जवाब और प्रतिवादी के शुल्क अंतर और ब्याज पर लगाए गए आदेशों को अस्वीकार करते हुए भुगतान के निर्देशों को बनाए रखा और जुर्माना भी लगाया।

डी.

ई.

14. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी की दो अपीलों का एक समग्र निर्णय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय लिया गया।इन दोनों अपीलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा हमारे सामने इस निर्णय पर हमला किया जाता है।न्यायाधिकरण ने अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“ 5.3 हम पाते हैं कि अध्याय 57 में न केवल कालीन बल्कि अन्य फर्श के आवरण भी शामिल हैं।जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि 'कालीन और अन्य फर्श के आवरण' शब्दों के बीच 'पुर्जे और सहायक उपकरण' शब्द हैं जिन्हें अधिक विशिष्ट माना जा सकता है।यहां तक कि अगर विभाग का यह दावा कि किसी भी स्तर पर कालीन अस्तित्व में नहीं आते हैं, स्वीकार किया जाता है, तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस वस्तु को अन्य उपयोग के लिए अन्य फर्श के आवरण के रूप में माना जा सकता है।हम यह भी पाते हैं कि एच. एस. एन. में नियम 3 (ए) के व्याख्यात्मक टिप्पणियों में, जहां एक उदाहरण के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया है कि "मोटर कारों में उपयोग के लिए पहचान योग्य कपड़ा कालीन को 8708 शीर्षक में मोटर कारों के सहायक उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि 5703 शीर्षक में जहां उन्हें अधिक विशेष रूप से कालीन के रूप में वर्णित किया गया है।"हालांकि,

जी.

एच.

आम बोलचाल में आक्षेपित उत्पाद को कालीन नहीं माना जा सकता है, अध्याय के शब्दों, खंड टिप्पणियों, अध्याय टिप्पणियों और ऊपर निकाले गए व्याख्यात्मक टिप्पणियों को देखते हुए हमारी राय है कि आक्षेपित माल अध्याय शीर्षक 570390.90 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है।"

6. आयुक्त के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलों को परिणामी राहत के साथ अनुमति दी जाती है।"

15. एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्याय 57 की टिप्पणियाँ, जो कालीनों और अन्य वस्त्र तल के आवरणों से संबंधित हैं, इन दोनों अपीलों के प्रभावी निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।उक्त अध्याय टिप्पणियों में लिखा है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“ अध्याय टिप्पणियाँ।

1.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "कालीन और अन्य वस्त्र फर्श के आवरण" शब्द का अर्थ है फर्श के आवरण जिसमें कपड़ा सामग्री उपयोग में होने पर वस्तु की खुली सतह के रूप में काम करती है और इसमें कपड़े के फर्श के आवरण की विशेषताओं वाली वस्तुएं शामिल हैं लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।

डी.

2. इस अध्याय में फर्श को ढकने वाले अंडरले शामिल नहीं हैं।

सामान्य

ई.

इस अध्याय में कालीन और अन्य वस्त्र फर्श के आवरण शामिल हैं जिनमें वस्त्र सामग्री उपयोग में आने पर वस्तु की खुली सतह के रूप में काम करती है।इसमें कपड़े के फर्श के आवरण की विशेषताओं वाली वस्तुएं शामिल हैं (जैसे, मोटाई, कठोरता और ताकत) लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, दीवार लटकाने या टेबल कवर या अन्य साज-सज्जा उद्देश्यों के लिए)।

च

उपरोक्त उत्पादों को इस अध्याय में वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे बने हुए हैं (यानी, सीधे आकार में बने, हेम्ड, लाइन, फ्रिंज, असेंबल, आदि)।), कालीन चौराहों, बेडसाइड कालीनों, चूल्हे के कालीनों के रूप में, या कमरों, गलियारों, मार्गों या सीढ़ियों में स्थापना के लिए कालीन के रूप में, काटने और बनाने के लिए लंबाई में।

जी.

उन्हें संवर्धित भी किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, लेटेक्स के साथ) या बुने हुए या गैर बुने हुए कपड़ों या सेलुलर रबर या प्लास्टिक के साथ समर्थित किया जा सकता है।"16. उक्त लिखत, अर्थात एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शुल्क मद संख्या के विरुद्ध चार प्रविष्टियों से संबंधित हैं।5703 निम्नलिखित शब्दों में:- ए.

एच.

311

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

“ 57.03 – कालीन और अन्य टेक्सटाईल फर्श आवरण, टफ्टेड, या तो बनाए गए या नहीं बनाए गए। 5703.10-ऊन या महीन जानवरों के बाल

5703.20 - नायलॉन या अन्य पॉलीमाइडों का

5703.30 - अन्य मानव निर्मित वस्त्र सामग्री का 5703.90-अन्य वस्त्र सामग्री का

इस शीर्षक में टफ्टिंग मशीनों पर उत्पादित टफ्टेड कालीन और अन्य टफ्टेड कपड़े के फर्श के आवरण शामिल हैं, जो सुई और हुक की एक प्रणाली के माध्यम से, पहले से मौजूद बैकिंग (आमतौर पर एक बुना हुआ कपड़ा या एक गैर बुना हुआ) में कपड़ा धागा डालते हैं, इस प्रकार लूप का उत्पादन होता है, या, यदि सुइयों और हुक को एक काटने के उपकरण, टफ्ट के साथ जोड़ा जाता है।ढेर बनाने वाले धागे को आम तौर पर रबड़ या प्लास्टिक की परत से ठीक किया जाता है।आमतौर पर कोटिंग को सूखने देने से पहले इसे या तो ढीले बुने हुए कपड़ा सामग्री, जैसे कि जूट, या फोम वाले रबड़ से ढक दिया जाता है।इस शीर्षक के उत्पादों को शीर्षक 58.02 के गुच्छेदार कपड़ा कपड़ों से अलग किया जाता है, उदाहरण के लिए, उनकी कठोरता, मोटाई और ताकत, जो उन्हें फर्श के आवरण के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।"

ग

डी.

17. राजस्व के विद्वान वकील ने सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.-सी. ई. एस. टी. ए. टी. के पूर्ववर्ती) के पहले के तीन आदेशों का हवाला देते हुए तर्क दिया है और 17 अप्रैल, 1995 को आबकारी

अधिकारियों द्वारा जारी एक परिपत्र पर भी भरोसा किया है।उक्त परिपत्र (जिसमें सं.117/28/95-सी. एक्स.) निर्दिष्ट करता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"रोल के रूप में गैर**-**बुनी हुई सामग्री से बने कार मैटिंग**-**परिपत्र **No.117/28/95-CX,** दिनांक **17-4-1995** की कर्तव्यता **[F.No.57/1/94-CX.1** से**]**

च

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली

जी.

विषयःरोल के रूप में गैर**-**बुनी हुई सामग्री से बने कार मैटिंग की कर्तव्यता**-**संबंधित

मुझे बोर्ड के <<15391 $परिपत्र संख्या 5/तल-आवरण/87> (एफ. No.57/1/87-CX.1), दिनांक 23-6-1987 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शुल्क देयता को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

एच.

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

रोल के रूप में शुल्क भुगतान गैर-बुनी हुई सामग्री से बने कार मैटिंग पर।बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि इन मदों पर मोडवाट के विस्तार के बाद यह स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले की फिर से जांच की गई है।बोर्ड का विचार है कि दो स्पष्ट चरण हैं अर्थात गैर-बुनी हुई सामग्री रोल के रूप में उत्पाद शुल्क के रूप में उभर रही है और अंत में कार मैटिंग विभिन्न अंतिम उत्पादों के रूप में उभर रही है।शुल्क दोनों चरणों में लगाया जाता है क्योंकि रोल के रूप में गैर-बुनी हुई सामग्री को कार मैटिंग में बदलने की प्रक्रियाओं में काटने, सिलाई, आकार आदि की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, और दोनों उत्पादों को बाजार में अलग-अलग जाना जाता है।

ग

3. इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कारखाने से साफ किए जाने पर रोल में गैर-बुनी हुई सामग्री के रूप में फर्श के आवरणों पर उचित केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय है, साथ ही, बाद में शुल्क भुगतान किए गए फर्श के आवरणों से निर्मित कार के आवरणों पर रोल में गैर-बुनी हुई सामग्री के रूप में।

डी.

4. बोर्ड के पहले के <<15391 $परिपत्र No.5/Floor कवरिंग्स/87> (F. No.57/1/87-CX.1) दिनांकित 23-6-1987 को वापस लिया गया माना जा सकता है और संशोधित निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जा सकता है।"

ई.

यह परिपत्र एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जिसमें रोल के रूप में गैर-बुनी हुई सामग्री जो कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थीं, एक अलग उत्पाद के रूप में उभरीं जब पूर्व को कुछ प्रक्रिया के उपयोग पर कार मैटिंग के रूप में बदल दिया जाता है।इस कारण से,

यह निर्धारित किया गया था कि शुल्क दो चरणों में लगाया जाएगा।लेकिन इन दो अपीलों में, हमें यह निर्धारित करना है कि क्या कार मैटिंग अध्याय 57 के तहत उपरोक्त शुल्क के भीतर आई थी।ये अपीलें इस सवाल को नहीं उठाती हैं कि क्या कार मैटिंग स्वयं उत्पाद शुल्क के अधीन होगी या नहीं।यहाँ सवाल यह है कि किस शुल्क-शीर्ष के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।उपरोक्त परिपत्र विषय अपीलों में राजस्व की सहायता नहीं करता है।

च

जी.

18. राजस्व अधिकारियों की ओर से उद्धृत तीन न्यायाधिकरण निर्णयों में, इस तरह की कार मैटिंग को मोटर कारों के पुर्जों और सहायक उपकरण के रूप में माना जाता था।पहला मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बॉम्बे-II बनाम स्टर्लिंग इंडिया [(2000) 115 ई. एल. टी. 807] का है।यह सी. ई. जी. ए. टी., नई दिल्ली का निर्णय था।इस मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारिती बिना प्रतिनिधित्व के चला गया।इसमें शामिल सामान कैनवास कैनोपी, फर्श ए थे।

एच.

313

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

मैटिंग और सीट कवर।न्यायाधिकरण ने कलेक्टर के इस आदेश को बरकरार रखा कि उक्त वस्तुओं को टैरिफ के उप-शीर्षक संख्या 5702.90 के तहत फर्श के आवरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था और उन्हें शीर्षक संख्या 8708.00 के तहत वर्गीकृत किया जाना था।न्यायाधिकरण के आदेश में कोई विश्लेषण या तर्क नहीं है और कहा गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“3. हमने अभिलेख पर तथ्यों का अध्ययन किया है।हम पाते हैं कि दोनों सहायक हैं।केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे के कलेक्टर, जिन्होंने मामले का फैसला सुनाया था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), बॉम्बे के कलेक्टर ने माना था कि विवादित सामान कालीन और फर्श की चटाई नहीं थे, बल्कि मोटर वाहनों के सहायक उपकरण थे।जिन वस्तुओं पर विवाद है उनमें कैनवास कैनोपी, फ्लोर मैटिंग और मोटर वाहनों के लिए सीट कवर शामिल हैं।फ्लोर मैटिंग पी. वी. सी. के साथ लेपित जूट से बनाई गई थी। अन्य वस्तुओं का भी फर्श के आवरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था।केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के कलेक्टर ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एच. एस. एन. स्पष्टीकरण टिप्पणियों और प्रासंगिक अध्याय टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है कि इन कार्यवाहियों में शामिल माल के प्रकार को फर्श के आवरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना था।"

ग

डी.

19. अगला मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम कलेक्टर का है।

स्वराज मजदा [(1993) 68 ईएलटी 258]।यह भी सी. ई. जी. ए. टी. का निर्णय है। यह मामला मोटर वाहनों के लिए फर्श की चटाई पर मोडवाट क्रेडिट की उपलब्धता से संबंधित है।इस मामले में उप-शीर्षक No.8708 के तहत शुल्क के भुगतान पर फर्श की चटाई को साफ कर दिया गया था, जिसमें 87.01 से 87.05 शीर्षक वाले मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण शामिल थे।उस प्रविष्टि की प्रयोज्यता उस अपील में नहीं थी।न्यायाधिकरण ने पाया कि फर्श की चटाई एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो निर्मित उत्पाद के पूरा होने की धारा में प्रवेश करती है और इसे विपणन के लिए उपयुक्त बनाती है।उस आधार पर मोडवाट प्रावधानों के तहत इनपुट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।तीसरा मामला, जिसे राजस्व की ओर से उद्धृत किया गया था, वह था ज्योति कार्पेट इंडस्ट्रीज बनाम.

ई.

च

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-I [(2001) 132 ई. एल. टी. 458]

सी. ई. जी. ए. टी. ने निर्णय लिया। यह एक ऐसा मामला था जहां निर्माता ने संबंधित वर्षों में उप-शीर्षक 5703.20 के तहत जूट के कपड़े के फर्श को उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया था।इस मामले में निर्धारिती विभिन्न निर्माताओं से कच्चे माल की खरीद कर रहा था और ऐसी सामग्रियों से वे बिजली से चलने वाली मशीनों की सहायता से कार की चटाई और अन्य चटाई जैसे बाथ मैट, टेलीफोन मैट, फ्लोर फुट मैट आदि का उत्पादन कर रहे थे।निर्माण की प्रक्रिया में मानकों के अनुसार कटाई, ओवरलॉकिंग और सिलाई आदि शामिल थे। स्टर्लिंग इंडिया (उपरोक्त) के मामले के बाद, यह माना गया कि कारों की फर्श की चटाई हो सकती है।

जी.

एच.

शीर्ष No.8708 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।लेकिन फिर से, स्टर्लिंग इंडिया (उपरोक्त) के मामले की तरह, न्यायाधिकरण ने इस निर्णय में इस तरह के वर्गीकरण के लिए कोई तर्क नहीं दिया है।स्टर्लिंग इंडिया (उपरोक्त) के मामले के बाद न्यायाधिकरण ने इन अपीलों में पाया कि विषय-वस्तुएं अध्याय 8708 के तहत वर्गीकृत की जा सकती हैं।

इन तीनों मामलों का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है, जिसका स्पष्ट रूप से हमारे लिए कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है। हालाँकि, हमने इन मामलों पर केवल यह पता लगाने के उद्देश्य से चर्चा की कि क्या राजस्व अधिकारी कार मैट को उप-शीर्षक 8708 के तहत एक विषय प्रमुख के रूप में मान रहे थे, निर्धारिती के प्रतिस्पर्धी दावे के उचित विश्लेषण पर उन्हें उप-शीर्षक 5703 में शामिल करने के लिए।हम न्यायाधिकरण के इन फैसलों से ऐसा नहीं पाते हैं।

ग

20. ऐसे अधिकारी हैं जिनमें यह माना गया है कि उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय अर्थ वर्गीकरण से संबंधित विवाद की व्याख्या के लिए एक प्रमुख कारक होगा।इस सिद्धांत में निर्धारित किया गया है

प्लाज्मैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मामले। प्राइवेट लिमिटेड बनामकलेक्टर

डी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क**,** बॉम्बे **[1991** सप्लीमेंट।**(1)** एस**.** सी**.** सी**. 57]** और डाबर इंडिया

लिमिटेड बनाम।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर [(2005) 4 एससीसी 9]।डाबर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“9. उपर्युक्त अधिकारियों से यह स्पष्ट है कि किसी उत्पाद को वर्गीकृत करने में वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।उत्पाद का उपयोग करने वालों द्वारा इससे जुड़े लोकप्रिय अर्थ के अनुसार उत्पाद को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में अपीलकर्ताओं ने दिखाया है कि उत्पाद में सभी सामग्री वे हैं जिनका उल्लेख आयुर्वेदिक पाठ्यपुस्तकों में किया गया है।यह अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है लेकिन अपीलकर्ताओं ने दिखाया है कि उनके पास उत्पाद के लिए दवा नियंत्रक का लाइसेंस है और उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पर्चे के माध्यम से भी सबूत पेश किए हैं, जिन्होंने इन्हें रिकेट्स के इलाज के लिए निर्धारित किया है।इसके विपरीत, राजस्व ने कोई प्रयास नहीं किया है और न ही कोई सबूत पेश किया है कि आम बोलचाल में उत्पाद को दवा के रूप में नहीं समझा जाता है।"

ई.

च

जी.

21. ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम के मामले में। कलेक्टर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद [(1994) 2 एस. सी. सी. 428], विपणन क्षमता परीक्षण लागू किया गया है, जो एक तरह से "लोकप्रिय अर्थ" परीक्षण का परिणाम है।इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया हैः- ए.

एच.

315

केंद्रीय उत्पाद आयोग, दिल्ली-III बनाम एम./एस. यू. एन. आई. उत्पाद भारत लिमिटेड। [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

“10. उपरोक्त निर्णयों के तथ्यों और अनुपात से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक मामले में माल विपणन योग्य नहीं पाया गया था।क्या यह परिष्कृत तेल (गैर-दुर्गन्धयुक्त) से संबंधित है

दिल्ली के कपड़े और दक्षिण बिहार में जनरल मिल्स या भट्टे की गैस में

बोर इंडस्ट्रीज में यूनियन कार्बाइड या पीवीसी फिल्मों में खुरदरी असमान सतह वाली चीनी मिल या एल्यूमीनियम के डिब्बे या अंबालाल साराभाई में हाइड्रोलाइसेट अदालत के समक्ष सामग्री के आधार पर प्रत्येक मामले में निष्कर्ष यह था कि विचाराधीन वस्तुएं विपणन योग्य नहीं थीं और बाजार को इस तरह से पता नहीं था।इस प्रकार 'विपणन क्षमता' अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाना है।कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता है।यह तथ्य कि वस्तुओं का वास्तव में विपणन नहीं किया जाता है, कोई प्रासंगिकता नहीं है।जब तक माल विपणन योग्य है, वे धारा 3 के प्रयोजनों के लिए माल हैं।यह भी आवश्यक नहीं है कि विचाराधीन वस्तुएं आम तौर पर बाजार में उपलब्ध हों।भले ही माल केवल एक स्रोत से या एक निर्दिष्ट बाजार से उपलब्ध हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वे खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं।अब, हमारे सामने की गई अपीलों में, यह तथ्य कि केरल में इन खंभों का निर्माण स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा किया जाता है जो उन्हें केरल राज्य विद्युत बोर्ड को बेचते हैं, यह दर्शाता है कि ऐसे खंभों का एक बाजार है।भले ही इन वस्तुओं का केवल एक ही खरीदार हो, फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि इन वस्तुओं के लिए एक बाजार है।वस्तुओं की विपणन क्षमता खरीदारों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है और न ही बाजार इस देश की क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित है।आबकारी अधिकारियों और सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी का अपना मामला यह था कि इन खंभों का निर्माण स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा किया जाता है जिनसे उसने उन्हें खरीदा था।यह याचिका-हालाँकि हमारे सामने नहीं रखी गई है-अपीलार्थी के मामले को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है।इसलिए, हमारी राय में, न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया निष्कर्ष आपत्तिजनक नहीं है।"

ग

डी.

ई.

च

22. तकनीकी अर्थ पर जोर दिया गया है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वॉकहार्ट लाइफ का मामला

वस्तुओं के वर्गीकरण संबंधी विवादों के समाधान के लिए साइंसेज लिमिटेड [(2012) 5 एस. सी. सी. 585]।इस मामले में, यह माना गया है कि किसी वस्तु को अवशिष्ट प्रविष्टि में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है यदि कोई विशिष्ट प्रविष्टि है, भले ही विशिष्ट प्रविष्टि के लिए उत्पाद को तकनीकी अर्थों में समझने की आवश्यकता हो।23. “सामान्य बोलचाल परीक्षण, "विपणन क्षमता परीक्षण", "लोकप्रिय अर्थ परीक्षण" सभी व्याख्या के लिए एक निर्णय पर पहुंचने के लिए उपकरण हैं।

शुल्क प्रविष्टि का उचित वर्गीकरण।हालाँकि, इन परीक्षणों को लागू करने की आवश्यकता होगी यदि कोई विशेष शुल्क प्रविष्टि एक से अधिक शीर्षों में वर्गीकृत होने में सक्षम है।जहाँ तक विषय-विवाद का संबंध है, हम पहले ही अध्याय 57 के अध्याय 1 का उल्लेख कर चुके हैं।इस नोट में कहा गया है कि कालीन और अन्य फर्श के आवरण का अर्थ होगा फर्श के आवरण जिसमें कपड़ा सामग्री उपयोग में आने पर वस्तु की खुली सतह के रूप में काम करती है।कार की चटाई की इस विशेषता को राजस्व अधिकारियों द्वारा वास्तव में आयुक्त के आदेश में असत्य के रूप में खारिज नहीं किया गया है, जिसके समक्ष प्रतिवादी द्वारा इस आशय का दावा किया गया था।

24. इन अपीलों में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कार मैट अध्याय-शीर्षक 57.03 के तहत आते हैं या नहीं।दूसरी अपील में, उत्पाद का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था, अलग था, लेकिन यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।राजस्व का मामला यह है कि माल का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि इनका उपयोग कारों के सहायक उपकरण के रूप में किया जा सके।न्यायाधिकरण ने पाया कि हालांकि आम बोलचाल में शामिल उत्पादों को कालीन नहीं माना जा सकता है, लेकिन अध्याय के शब्दों, अनुभाग टिप्पणियों, अध्याय टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों को देखते हुए, वस्तुओं को अध्याय शीर्षक 570390.90 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

ग

डी.

25. हम इस तरह के तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 87 में एक स्वतंत्र शुल्क प्रविष्टि के रूप में कार मैट शामिल नहीं हैं।हमने पहले टैरिफ प्रविष्टि 8708 के खिलाफ सूचीबद्ध विभिन्न पुर्जों और सहायक उपकरणों को पुनः प्रस्तुत किया है।वे सभी यांत्रिक घटक हैं, और राजस्व चाहता है कि कार की चटाई को उसी सूची में अवशिष्ट उप-शीर्ष "अन्य" के तहत शामिल किया जाए।नियमों की व्याख्या से संबंधित एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों में विशेष रूप से "मोटर कारों में उपयोग के लिए पहचाने जाने योग्य टफ्टेड टेक्सटाइल कार्पेट" को 87.08 से बाहर रखा गया है और उन्हें 57.03 शीर्षक के तहत रखा गया है।राजस्व का तर्क है कि व्याख्यात्मक टिप्पणियों का केवल प्रेरक मूल्य है।लेकिन इस तरह के प्रेरक मूल्य का स्तर या गुणवत्ता बहुत मजबूत है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों में देखा गया है, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।इसके अलावा, आयुक्त ने स्वयं प्रत्यर्थी के रुख से निपटने के दौरान मूल आदेश में व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख किया है।इस प्रकार, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि हमें प्रवेश संबंधी विवाद को हल करने के लिए इन व्याख्यात्मक टिप्पणियों की सहायता लेने की सामान्य प्रवृत्ति से क्यों हटना चाहिए।अब, इन व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख करने पर, हम पाते हैं कि कालीनों की एक श्रेणी [वस्त्र कालीन (अध्याय 57)] को विशेष रूप से भागों से बाहर रखा गया है और ए

ई.

च

जी.

एच.

सहायक उपकरण।हमारी राय में, विषय-वस्तु "तृतीय-भागों और सहायकों" के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियों की धारा XVII में निर्दिष्ट तीसरी शर्त को पूरा नहीं करता है।इसके खंड (सी) का एक सादा पाठ, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है, "कपड़ा कालीन" (अध्याय 57) को शामिल नहीं करता है।26. अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि चूंकि कार की चटाई विशेष रूप से कारों के लिए बनाई जाती है और कारों में भी उपयोग की जाती है, इसलिए उन्हें पुर्जों और सहायक उपकरणों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।लेकिन अगर हम उस तर्क के अनुसार चलते हैं, तो कपड़ा कालीनों को पुर्जों और सहायक सामग्रियों से बाहर नहीं रखा जा सकता था।हमने पिछले पैराग्राफ में इस तरह के बहिष्करण का उल्लेख किया है।राजस्व की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि इन वस्तुओं की पहचान आमतौर पर कालीन के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि ये अलग-अलग उत्पाद हैं। न्यायाधिकरण ने विभिन्न प्रविष्टियों, नियमों और टिप्पणियों के विस्तृत विश्लेषण पर पाया है कि वे अध्याय शीर्षक 570390.90 के तहत माल के विवरण में फिट बैठते हैं।हम न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं।एक बार जब विषय वस्तु उस उप-शीर्षक के दायरे में आती है, तो एकमात्र कारण यह है कि वे विशेष रूप से कारों के लिए बनाए गए हैं और "घरेलू उपयोग" के लिए नहीं (व्यापक रूप से), उन वस्तुओं को शीर्षक 8708 के सामने अवशिष्ट प्रविष्टि में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम पाते हैं कि विषय-वस्तुएँ अध्याय-शीर्षक 570390.90 के तहत आती हैं, और उसी अध्याय के तहत दूसरी प्रविष्टि आयुक्त के दूसरे आदेश में विवाद का विषय बनती है, हमारी राय में, प्रासंगिक टैरिफ प्रविष्टियों के खिलाफ इन वस्तुओं की स्थिति की पहचान करने के लिए "सामान्य बोलचाल" परीक्षण या निर्माण के किसी अन्य समान उपकरण को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग

डी.

ई.

27. इन कारणों से हम अपीलों को खारिज करते हैं।न्यायाधिकरण का विवादित निर्णय कायम है।

28. किसी भी संबंधित आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

च

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

जी.

एच.